उत्तराखण्ड शासन
न्याय विभाग
संख्या-53/XXXVI(1)/2016–1–चार जे0/2002
देहरादून दिनांकः 10 फरवरी, 2016

कार्यालय ज्ञाप

राज्य सरकार, विधि परामर्शी निदेशिका के प्रस्तर 4.02, 5.02, 6.02, 10.01 तथा 10.02 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इस विषय पर पूर्व में निर्गत समस्त दिशा–निर्देशों/आदेशों को अधिकमित करते हुए उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में राज्य विधि अधिकारियों की नियुक्ति तथा पदावधि को विनियमित करने की दृष्टि से निम्नलिखित सामान्य अनुदेश जारी करती है–

उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में राज्य विधि अधिकारियों की नियुक्ति तथा पदावधि के लिए सामान्य अनुदेश, 2016

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इन सामान्य अनुदेशों का संक्षिप्त नाम उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में राज्य विधि अधिकारियों की नियुक्ति तथा पदावधि के लिए समान्य अनुदेश, 2016 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

परिभाषा 2. विधि अधिकारी के रूप में उच्चतम न्यायालय में अपर महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता, ए0ओ0आर0–सह स्थायी अधिवक्ता, पैनल अधिवक्ता इत्यादि चाहे उसे किसी नाम से पुकारा जाय तथा उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में वरिष्ठ अपर महाधिवक्ता, अपर महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता, शासकीय अधिवक्ता, अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता, उप–शासकीय अधिवक्ता तथा सहायक शासकीय अधिवक्ता, आपराधिक कार्यों हेतु तथा मुख्य स्थायी अधिवक्ता और स्थायी अधिवक्ता इत्यादि चाहे उसे किसी नाम से पुकारा जाय, सिविल कार्यों हेतु, शासन द्वारा नियुक्त विधि अधिकारी सम्मिलित है।

पात्रता 3. उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में विधि अधिकारियों के रूप में चाहे निम्न पदनामों में उसे किसी नाम से पुकारा जाय, नियुक्त होने वाले विधि व्यवसायियों के लिए निम्नलिखित पात्रता होना आवश्यक होगा, अर्थात –

क.सं.	विधि अधिकारी का पदनाम	पात्रता
उच्चतम न्यायालयः		
1.	अपर महाधिवक्ता	न्यूनतम 10 वर्ष उच्चतम न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो तथा उच्चतम न्यायालय अथवा किसी उच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता पदाभिहित हो या रहा हो।
2.	उप महाधिवक्ता	न्यूनतम 10 वर्ष उच्चतम न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो।
3.	ए.ओ.आर–सह स्थायी अधिवक्ता	उच्चतम न्यायालय द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण होना एवं दस वर्ष का वकालत

		अनुभव।
4.	वरिष्ठ पैनल अधिवक्ता	उच्चतम न्यायालय में सात वर्ष का वकालत का अनुभव।
5.	पैनल अधिवक्ता	उच्चतम न्यायालय में पांच वर्ष का वकालत का अनुभव।
<u>उच्च न्यायालय</u>		
1.	वरिष्ठ अपर महाधिवक्ता	न्यूनतम 10 वर्ष उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो तथा उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता पदाभिहित हो या रहा हो।
2	अपर महाधिवक्ता	न्यूनतम 10 वर्ष उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो तथा उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता पदाभिहित हो या रहा हो।
3.	उप महाधिवक्ता	न्यूनतम 10 वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत का अनुभव हो
4.	मुख्य स्थायी अधिवक्ता	तदैव
5.	अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता/स्थायी अधिवक्ता	तदैव
6.	शासकीय अधिवक्ता	तदैव
7.	सहायक शासकीय अधिवक्ता	न्यूनतम 7 वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत का अनुभव हो
8.	वाद धारक	न्यूनतम 5 वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत का अनुभव हो

टिप्पणी 1– ऐसे विधि व्यवसायियों के मामले में, जिन्होंने उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में अपेक्षित अवधि पूर्ण नही की हो, को राज्य सरकार आवश्यकतानुसार उपयुक्त मामलों में, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय सृजित किये जाने से पूर्व जनपद न्यायालयों में किये गये विधि व्यवसाय पर आगणन के लिए विचार कर सकेगी।

2– राज्य सरकार अथवा उसके किसी कार्यालय/निकाय में विधि परामर्शी/न्यायिक पद पर तैनाती की अवधि को उपर्युक्त विधि अधिकारियों की पात्रता में जोड़ा जा सकेगा।

नियुक्ति

4. राज्य सरकार आवश्यकतानुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या महाधिवक्ता से विचार–विमर्श कर किसी भी पात्रता वाले विधि व्यवसायी को विधि अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी। विधि अधिकारी के पदो पर की जाने वाली सभी नियुक्तियां सरकारी गजट में अधिसूचित की जायेगी। विधि अधिकारियों को अनुमन्य होने वाले शुल्क आदि राज्य सरकार के सामान्य अथवा विशेष आदेशों द्वारा अभिनिर्धारित किये जायेंगे।

आयु तथा स्वास्थ्य

5. विधि अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा 67 वर्ष होगी जिसे शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हेतु तीन वर्ष के लिए नवीनीकृत किया जा सकेगा।

पदावधि

6. किसी भी विधि व्यवसायी की विधि अधिकारी के रूप में नियुक्ति एक व्यावसायिक नियोजन मात्र है, जिसे दोनों पक्षों में से किसी एक की इच्छा पर समाप्त किया जा सकेगा और तद्नुसार राज्य सरकार में यह अधिकार निहित होगा कि वह बिना कोई कारण बताये किसी भी विधि अधिकारी के नियोजन को किसी भी समय समाप्त कर दें। इस शर्त के अध्याधीन विधि अधिकारियों को पहली बार सामान्यतया एक वर्ष की अवधि के लिये राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा, जिसे एक समय में दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकेगा।

10.2.16

(राम सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्याः-53 (1)/XXXVI(1)/2016–1–चार जे0/2002 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की, जिला हरिद्वार को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उपर्युक्त अनुदेश को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रसारित असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–ख, परिनियम आदेश में प्रकाशित करने एवं अनुदेश की 50 मुद्रित प्रतियां शासन को भेजने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(कहकशा खान)
अपर सचिव।

संख्याः-53 (2)/XXXVI(1)/2016–1–चार जे0/2002 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
2– महानिबंधक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
3– एन0आई0सी0/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(कहकशा खान)
अपर सचिव।